मुझे यह जान कर बड़ी खुशी हुई कि इस मामले पर भी विचार हो रहा है और मुझे पूरी आशा है कि अगर इसको क्रिएट करने में देरी होती है तो कम से कम स्पेशल आफिसर जरूर मुकर्रर किया जायगा और मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी है ।

जैसे कि अभी माननीय मंत्री ने फरमाया कि यह स्टेट सब्जैक्ट है इसलिए देरी होती है तो इस देरी को दूर करने का एक ही तरीका है कि एक स्पेशल आफिसर इस काम के लिये मुकर्रर किया जाय और जिन तजवीजों को हम सही समझते हैं और जो हम अपने लीगल सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स करना चाहते हैं उनको पूरा करने में मदद दे और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करनें से हमारे जो डिफक्ट्स हैं उनको जरूर दूर किया जायगा और लीगल सिस्टम को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश की जायगी ।

आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि लीगल सिस्टम हमारे देश की पोलीटिकल जिन्दगी में ही नहीं सोशल जिन्दगी में भी उसके बनाने में अहमियत रखता है । अमरीका के मि० रावर्ट नेरैन्यु का कहना है :—

"It is the legal system which not only influences the character of the entire system of justice but even the political and social life of the country because a lawyer is the middleman between citizen and justice".

मुझे पूरा विश्वास है कि इन तमाम बातों पर पूरा विचार किया जायेगा और इसको सुधारने के लिए अमली कदम उठाये जायेंगे ।

**Mr. Deputy-Speaker:** Am I required to put Shri Kasliwal's amendment to vote?

**Shri Kasliwal** (Kotah): I just want to say a word.

**Mr. Deputy-Speaker:** There is no right of reply.

**Shri Kasliwal:** I am not replying. My amendment was entirely of a general nature. I have also been supported by the Minister of Law. But in view of the fact that he wants to keep the question open, I would like to ask leave of the House to withdraw it.

**Mr. Deputy-Speaker:** Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his amendment?

*The amendment was, by leave, withdrawn.*

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

"That this House takes note of the Fourteenth Report of the Law Commission on the Reform of Judicial Administration (Volumes I & II) laid on the Table of the House on the 25th February, 1959".

*The motion was adopted.*

---

**13.55 hrs.**

## DEMAND FOR EXCESS GRANT (DELHI)*

**Mr. Deputy-Speaker:** The House will now take up discussion and voting on the Demand for Excess Grant in respect of the Government of Delhi State for 1956-57 (1st April, 1956 to 31st October, 1956).

**Mr. Deputy-Speaker:** Motion moved:

DEMAND NO. 10—ADMINISTRATION OF JUSTICE

"That a sum of Rs. 1,21,921 be granted to the President to make good an excess on the grant sanctioned for the former Part C State of Delhi in respect of 'Administration of Justice' for the year ended the 31st day of March, 1957".

*Moved with the recommendation of the President.

[Mr. Deputy Speaker]

Does the hon. Minister want to say anything?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar):** So far as all these Excess Demands are concerned, they are more or less adjustments. The first relates to Delhi State in respect of the High Court work done by the Punjab High Court, either through its Circuit Bench at Delhi or sometimes at Chandigarh. For that purpose, a certain amount, Rs 11 lakhs, had been included in the budget and the amount was debited on two occasions, but a certain amount remained undebited It could have been debited under the States Reorganisation Act, but on account of certain technical difficulties it was not done. Therefore, that excess amount has to be formally adjusted now in the accounts

May I point out in respect of all these Demands for Excess Grants that they were examined by the Public Accounts Committee? They recommended that these excess amounts should be regularised by placing them before Parliament That is the reason why they have been brought forward here They related to the pre-reorganisation period when we had Delhi as a Part C State and when Himachal Pradesh also was a Part C State. Therefore, it is a question merely of adjustments. All these have been very carefully scrutinised by the Public Accounts Committee and they have agreed that they should be regularised by Parliament

**श्री प्र० चि० दीक्षित (झज्जर)** जनाब डिप्टी स्पीकर साहब जब कि बैंच के लिए फालतू ग्रांट मंजूर करायी जा रही है तो मैं सब से पहली चीज यह अर्ज करना चाहता हूं कि कल जो आनरेबिल मिनिस्टर की तकरीर से खदशात पैदा हो गये थे वे आज ला मिनिस्टर की तकरीर के बाद दूर हो गये। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दिल्ली के बैंच को परमानेंट किया जाये क्योंकि ला कमीशन ने जिस बिना पर बैंचों के एबालिशन की सिफारिश की है वे दिल्ली में मौजूद नहीं हैं। मैंने कमीशन की रिपोर्ट का वह हिस्सा पढ़ा है। उस में पहली वजह तो यह दी गयी है कि चीफ जस्टिस का पूरा कंट्रोल नहीं होता। लेकिन दिल्ली और चंडीगढ़ तो बहुत अच्छी तरह कनक्टड हैं और यहां की फुल बैंच के केसेज में चीफ जस्टिस आकर बैठते हैं। इस तरह से यहां की बैंच को चीफ जस्टिस का पूरा कंट्रोल हासिल है।

दूसरी बात रिपोर्ट में यह कही गयी है कि जहां बैंच हो वहां स्ट्राग बार होना चाहिये और जब तक कसालिडेटड हाई कोर्ट नहीं होगा तब तक स्ट्राग बार नहीं बन सकता। लेकिन दिल्ली के केस में यह चीज भी लागू नहीं होती क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट होने की वजह से हिन्दुस्तान के बेहतरीन वकील प्रेक्टिस करते हैं और इसलिए दिल्ली में बहुत मजबूत बार है। यहां पर बार की कोई डिफीकल्टी नहीं है।

और जो एक बहुत बड़ा प्वाइंट है दिल्ली बैंच रखने के फेवर में वह यह है कि दिल्ली खुद एक स्टेट है। हिस्टारिकल रीजन्स के अलावा भी दिल्ली की अहमियत बहुत ज्यादा है। यहां पर कमर्शियल लिटीगेशन बहुत ज्यादा होता है। चंडीगढ़ के बहुत से वकील दिल्ली में प्रेक्टिस करते हैं। चंडीगढ़ हाईकोर्ट के लिए जब चुनते वक्त चीफ जस्टिस यह देखते हैं कि दिल्ली में कौन ऐसा लायक है जिसको कि हाईकोर्ट की जजी के काबिल समझा जाये। दिल्ली में कमर्शियल काम इतना ज्यादा है कि यहां बैंच का रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो दिल्ली का बैंच है वह ला कमीशन की जद में न आ जाये। आज जो स्पीच ला मिनिस्टर साहब ने दी है उसको सुनकर हम को उम्मीद होती है कि दिल्ली की बैंच कायम रखी जायेगी। कल भी आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने अब अपनी स्पीच दी थी तो मार्जिन तो रखा था लेकिन जोर एबालिशन पर ही दिया था। लेकिन आज ला मिनिस्टर साहब ने बैंच कायम रखने

पर ज्यादा जोर दिया है । इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दिल्ली का बैंच कायम रखना चाहिए ।

एक और मैं अर्ज किये देता हूं । जिस मकान में हाई कोर्ट की बैंच काम करती है वह कोई बहुत पुरानी इमारत है । आज जो हाईकोर्ट की जरूरियात बढ़ गयी हैं और जो बार की जरूरियात बढ़ गयी हैं उनको वह इमारत पूरा नहीं कर पाती । न वहां बार रूम एवेलेबिल है । जो जजेज वहां काम करते हैं वे अनएस्युमिंग हैं और वह इस बारे में कोई लम्बा चौड़ा रिप्रेजेंटेशन नहीं करते । लेकिन उस इमारत के कमरे बहुत छोटे हैं और उन में लिटिगेंट्स और वकीलों तक को बैठने की जगह नहीं मिलती । तो यह बैंच किसी अच्छी जगह कायम किया जाना चाहिये ।

एक बात और भी है । जो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उन के लिये एक अच्छी माडर्न इमारत बनायी गयी है लेकिन जो एक कोर्ट के लिये चीजें जरूरी हैं वे उस इमारत में नहीं हैं । एक कैबिनेट के मिनिस्टर साहब भी वहां गये थे और उनको दिखाया गया था कि इस इमारत के अन्दर ठीक तरह से काम नहीं हो सकता । यह नया स्ट्रक्चर अजीब तरीके से बनाया गया है । यह शिकायत दिल्ली की बार की है जो कि दिल्ली के हैडक्वार्टर्स पर प्रेक्टिस करते हैं कि दिल्ली के कोर्ट और बैंच ठीक तरह कायम नहीं किये गये हैं ।

फिर मैं एक और इम्पार्टेंट सवाल की तरफ आता हूं । और उसकी तरफ आनरेबिल मिनिस्टर का ध्यान दिलाना चाहता हूं । हम जब हिन्दुस्तान के लिये कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो यह भूल जाते हैं कि हिन्दुस्तान एक बर्रे-आजम है । जो हालात बंगाल या मद्रास में हैं वह पंजाब और दिल्ली में नहीं हैं । इसलिए हमको सारे देश के लिए एक रिजिड प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए कि जो चीज एक हाई कोर्ट में होगी वही सारी जगह होगी । जहां तक हिन्दुस्तान की यकजाइयत का सवाल है उस बारे में तो हम एक तरह का प्रोग्राम बना सकते हैं लेकिन सब मामलों में हम ऐसा नहीं कर सकते । अब सवाल यह है कि हाईकोर्ट्स की लैंग्वेज क्या होनी चाहिये । मैं समझता हूं कि मद्रास और बंगाल और दूसरे हाईकोर्ट्स में जहां पर न जज हिन्दी या हिन्दुस्तानी जानते हैं, न वकील हिन्दी जानते हैं न लिटिगेंट हिन्दी जानते हैं वहां के लिये वही प्रोग्राम लैंग्वेज के मामले में नहीं बनाना चाहिये जो कि दिल्ली के लिये बनाया जा सकता है जहां कि जज भी हिन्दी जानते हैं, वकील भी हिन्दी जानते हैं और लिटिगेंट भी हिन्दी जानते हैं । ऐसी हालत में क्या वजह है कि दिल्ली में भी कचहरी में जज अंग्रेजी में बोलें, वकील भी अंग्रेजी में बहस करें और जज आबजरवेशन भी अंग्रेजी में ही करें । मैं चाहता हूं कि दिल्ली की बैंच से सब से पहले हिन्दी का इस्तेमाल शुरू होना चाहिये । इस में कोई भी दिक्कत नहीं है । हां फैसले अंग्रेजी में लिखे जायें क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट को जाते हैं । दिल्ली में हिन्दी के इस्तेमाल में कोई दिक्कत नहीं हो सकती । यहां पर बैंच तो अपीलेट कोर्ट है कोई ओरिजिनल कोर्ट नहीं है । जहां की पब्लिक हिन्दी जानती है और जज और वकील भी हिन्दी जानते हैं वहां इस बात की इजाजत क्यों न हो कि वकील अपनी बातों में बहस कर ताकि फरीकैन भी उसको समझ सकें ।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब में देहात में जिन लोगों ने लेट अंग्रेजी शुरू की है, वह तो अच्छे वकील हैं लेकिन उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है । अगर आप उनका मुकाबला कलकत्ता या मद्रास के वकीलों से करेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है । इसका नतीजा यह होता है कि जो बहुत अच्छा वकील है उसकी भी बहुत सारी ताकत अंग्रेजी के प्रापर वर्ड के एडजस्टमेंट में लग जाती है और वह इतनी ताकत केस में नहीं लगा पाता । कुछ जज जो कि बड़े काबिल इज्जत हैं वह भी अंग्रेजी को ज्यादा देखते हैं । अगर कोई इंगलैंड से अंग्रेजी पढ़कर आता है

[श्री प्र० सिंह दौलता]

तो वह उसकी अंग्रेजी को ज्यादा देखते हैं और कोर्ट में दूसरों को अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो मैं यह कहता हूं कि दिल्ली की बैंच में, फरीकैन के नुक्ते निगाह से भी यह जरूरी है कि यहां की कार्रवाई हिन्दी में होनी चाहिये। और कुछ नहीं तो कम से कम बहस तो हिन्दी में होनी चाहिये ताकि फरीकैन भी उसको समझ सकें। मैं अर्ज करता हूं कि दिल्ली के लोग इस को बहुत पसन्द करेंगे कि मुकदमों में हिन्दी में बहस की जाये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को सस्ता और जल्द इन्साफ मिलना चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है? इसके लिए मैं कुछ तजवीज पेश करूंगा। इस में एक तो यह चीज जरूरी है कि सरकार का खर्चा भी कम हो और लोगों का भी खर्चा कम हो। मेरी राय में यह बड़ा आसान काम है। आप पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा इख्तियार दें। इस सिलसिले में मैं आपसे यह अर्ज कर दूं कि हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मोमियालाजी और तहजीब का डिफरेंट स्टैंडर्ड है। दिल्ली के देहात का और जगहों के देहात से कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। यहां देहात में कम्पेरेटिवली रिचर पीजेंटरी है और लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं और एक खास ट्रेडीशन में पले हैं। उनको आप जितना ज्यादा अख्तियार देंगे उतना ही लोगों का इन्साफ पाने में खर्चा कम होगा। और सरकार का भी खर्चा कम होगा। और चूंकि दिल्ली मेट्रो के मानहत है इसलिए उसको अपनी पंचायत का एक माडल भी मुल्क के सामने पेश करना चाहिए जिसकी दूसरी जगह नकल की जा सके। इस बात को सुनकर बड़ा दुःख होता कि देहात में बड़ी पार्टी बाजी है। हो सकता है कि कुछ लोग बुरे हों और कुछ पार्टीबाजी हो लेकिन मजमुई तौर पर देहात वालों का नजरिया इन्साफ की तरफ होता है।

आजकल यह प्रक्टिस शुरू हुई है कि शहर में आप आनरेरी मजिस्ट्रेट मुकर्रर करते हैं। हम अंग्रेजों के वक्त में तो आनरेरी मजिस्ट्रेटों का मजाक बनाया करते थे, उनके खिलाफ आवाज उठाते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि जब एक आदमी आनरेरी मजिस्ट्रेट मुकर्रर होता है तो वह अखबारों में अपना फोटो निकलवाता है, बड़ी शान मनाता है। मैं कहता हूं कि ये इन्साफ के अफसर हैं या अपनी पब्लिसिटी करने वाले हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दिल्ली एरिया में आनरेरी मजिस्ट्रेट नहीं होने चाहिए और देहात में पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा पावर देनी चाहिए। ताकि अखराजात कम हों।

एक और प्वाइंट मैं कहना चाहता हूं

**उपाध्यक्ष महोदय** आप ने एक्सेस ग्राट्स पर जो बातें कही हैं उन में से कोई भी बात नहीं कही जा सकती।

**श्री प्र० सिंह० दौलता** मैं एक्सपेंडेचर के बारे में

**उपाध्यक्ष महोदय** यहां तो एक्सेस ग्राट्स का सवाल है। कुछ खर्चा ज्यादा हो गया है। इस पर यह तो कहा जा सकता है कि इतना ज्यादा क्यों हुआ कम हो सकता था। लेकिन जहां तक पालिसी का सवाल है यह तो तै हो चुका है। अब तो सिर्फ इस पर आप यही कह सकते हैं कि यह एडीशनल खर्चा क्या हुआ है।

**श्री प्र० सिंह० दौलता** डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी अर्ज यह है कि बहुत कम खर्च होता, इस ग्रान्ट की मन्जूरी लेने की जरूरत न पड़ती अगर पंचायतों को ज्यादा अख्तियार दे दिये जाते।

14 hrs

**उपाध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य वकील हैं और वह बेशक यह दलील दे रहे हैं कि अगर पंचायतों को ज्यादा अख्तियार दे दिये जाते, तो खर्च कम होता, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस में पंचायतों को ज्यादा अख्तियार दिये जा सकते हैं। अभी हम ने

ला कमीशन की रिपोर्ट पर बहस खत्म की है। उसमें ये बातें कही जा सकती थीं और लोगों ने कही हैं।

**श्री ब्र० सिंह दौलता :** मैं यहां के पर्टिकुलर हालात की बात कह रहा हूं, क्योंकि हम दिल्ली में ज्यादा आसानी से खर्च को कम कर सकते हैं बनिस्बत हिमाचल प्रदेश के और ऐसे दूसरे इलाकों के। बैकवर्ड इलाकों में अख्तियारात देते हुए झिझक होती है, लेकिन दिल्ली में वह नहीं हो सकती है।

कोर्ट-फीस के बारे में कह कर मैं अपनी जगह लेता हूं। मैं इस हक में नहीं हूं कि कोर्ट-फीस बिल्कुल उड़ा दी जाय। यह कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय:** उस के बारे में तो अभी ला मिनिस्टर साहब जवाब दे चुके हैं। वह बहस तो खत्म हो चुकी है।

**श्री ब्र० सिंह० दौलता :** मैं आमदनी की बात सजेस्ट करना चाहता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** मैं माननीय सदस्य की खिदमत में अर्ज करूंगा कि इस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है।

**श्री ब्र० सिंह० दौलता :** टिकट लगाने का जो सिस्टम है, वह सारा ओवरहाल होना चाहिए। यह क्या सिस्टम है कि जितनी ऊंची लिटिगेशन चली जाये, स्केल भी कम होता जाय। मैं यह सजेस्ट करना चाहता हूं कि पांच छः हजार की प्रापर्टी पर कोर्ट-फीस बिल्कुल न हो। उस से आगे न सिर्फ मिकदार-एमाउंट बढ़ने चाहियें, बल्कि स्केल भी बढ़ना चाहिये और जो प्रापर्टीज मुतालिक लिटिगेशन के लिये आती हैं, उन को ज्यादा से ज्यादा पे करना चाहिये। अगर ऐसा किया जायगा, तो ज्यादा रुपया मिलेगा और एक्सेस ग्रान्ट की मन्जूरी नहीं लेनी पड़ेगी।

**श्री राधा रमण (चांदनी चौक) :** उपाध्यक्ष महोदय, जो मांगें अभी होम मिनिस्टर साहब ने दिल्ली के विषय में रखी हैं, मैं उन का समर्थन करते हुए दो चार बातों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जनाब ने अभी दौलता साहब के कुछ मजमून से बाहर की बात ना कहने के बारे में कहा, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जब कभी भी पार्लियामेंट में मौका मिले, तो दिल्ली के मेम्बरान और खास तौर पर उन लोगों को, जो कि दिल्ली के न्याय और यहां के और मामलों में दिलचस्पी रखते हैं, तमाम बातों का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी बदकिस्मती है कि दिल्ली का अपना कोई लेजिस्लेचर नहीं है, इसलिये जब भी कोई मौका आता है, तो वे ख्यालात जो दूसरे सूबों में लेजिस्लेचर में रखे जा सकते हैं, यहां रखे जाते हैं और आप की तरफ़ से थोड़ा सा इनडलजेंस दिया जाता है।

जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, ये मांगें ज्यादातर पुराने वक्त की हैं और उस वक्त की हैं, जब स्टेटस का पुनर्गठन हो रहा था और इस का ताल्लुक हमारे हाई कोर्ट के बैंच से है। मैं पूरे जोर से मंत्री महोदय से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वह यहां के सर्किट बैंच की हालत को सुधारने की पूरी कोशिश करें। इस सर्किट बैंच को काफी जद्दो-जहद के बाद दिल्ली में कायम किया गया था। इस सिलसिले में इस बात को महसूस किया गया था कि कैपिटल में इस बैंच का होना बहुत जरूरी है। पहले यहां के लोगों को अपने रोजाना के मुकदमात का फ़ैसला करवाने के लिये पंजाब में जाना पड़ता था और हजार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस वजह से इस सर्किट बैंच को यहां कायम किया गया था और इस अर्से में उस ने बड़ा नुमायां काम किया है। सैकड़ों मुकदमे इस में फ़ैसल हो है और जिन लोगों को पहले लाहौर—और अब चंडीगढ़—जाना पड़ता था, उन्हें बहुत काफ़ी राहत और आराम मिला है। मंत्री जी से मेरी बड़ी पुरजोर दरख्वास्त यह है कि मौजूदा सर्किट बैंच की हालत को सुधारने, उस को

[श्री राजा रमण]

एक्सपैंड करने और जो एमिनिटीज वहां इस वक्त नहीं है, उन को पैदा करने का उन को बहुत ख्याल करना चाहिये । मैं समझता हूं कि यह इस जगह की मांग है और यहां के हालात की जरूरत है और उन्हें इस बात को हमेशा अपने सामने रखना चाहिए । अगर इस में मुखतलिफ ख्याल उन के मंत्रालय या हाई कोर्ट के दिमाग में कभी आये, तो उन को उस का पूरा मुकाबला करना चाहिए और इस सर्कट बैंच को यहां कायम रखना अपना बहुत जरूरी और अव्वल फर्ज समझना चाहिये ।

मैं इस बात की बिल्कुल ताईद करता हूं कि इस वक्त बैंच जहां पर कायम है, वह बिल्कुल गैर-मौजू जगह है । उस में बैठने उठने का पूरा इन्तजाम नहीं है और वहां पर कोई ऐसी एमिनिटीज नहीं हैं कि जिन को देख कर यह कहा जा सके कि वह किसी हाई कोर्ट का बैंच है । इस लिए मैं जनाब के जरिये मंत्री महोदय से निहायत अदब से दरख्वास्त करूंगा कि उन को इस तरफ ध्यान देना चाहिये । वहां पर वकीलों के लिये कोई अच्छी लाइब्रेरी नहीं है और जो क्लायंट्स वगैरह वहां मुकदमेजात के सिलसिले में आते हैं, उन के लिये बैठने उठने का ठीक इन्तजाम भी नहीं है, जो भी चीजें ऐसी अदालतों के आस-पास होनी चाहिए, जिन से मुवक्किलों और वकीलों को आराम पहुंचता है और जिन की बदौलत वकील लोग निहायत गौर-खौज के साथ मुकदमों की पैरवी कर सकते हैं, वे चीजें आज वहां मुहैया नहीं हैं और यह बात हमारे लिये बायसे-शर्म है । यह ठीक है कि हिन्दुस्तान में कोई अथाह रुपया नहीं है और हर एक काम हम एक सीमा में रह कर ही करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि दिल्ली जैसी जगह में जो सर्कट बैंच हो, वह एक नमूना होना चाहिए और वहां तमाम किस्म की सुविधायें होनी चाहिए, जिन की मुवक्किलों, वकीलों और उन तमाम लोगों को जरूरत होती है, जो कि अपने मुकदमों के सिलसिले में वहां जाते हैं । उन के उठने बैठने के लिए और उन के आराम के लिए सही तरीके का बन्दोबस्त करना चाहिए । इस बात पर पूरी तरह गौर किया जाये और उस के मुताबिक वहां पर तमाम जरूरियात को पूरा किया जाये या फिर हाई कोर्ट बैंच को किसी दूसरी जगह ले जाना चाहिये जहां तमाम सुविधायें मुहैया की जा सकें ।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि बावजूद इस बात के कि सर्कट बैंच यहां पर है और उस में मुकदमेजात काफी जल्दी फैसल होते हैं, लेकिन अब भी काफी डीले होती है और उस को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे उस के लिये जजिज की तादाद को बढ़ाना पड़े और चाहे और कोई रास्ता अख्तियार करना पड़े, ताकि मुवक्किलों को अपने मुकदमे का फैसला जल्द-अज-जल्द पाने की सहूलियत हो सके । हिन्दुस्तान में यह बार बार कहा जाता है और हम सब को यह ख्वाहिश है—और मैं समझता हूं कि सब ख्वाहिश है और वह इस बात पर निर्भर है कि हम आजाद हो चुके हैं और हमारा बड़ा शानदार मुल्क है और हम दुनिया के सामने अच्छे अच्छे नमूने पेश करना चाहते हैं । इसी सूरत में हमारी अदालत की शक्ल भी नमूने की होनी चाहिए, जिस पर हम को फख्र और नाज हो सके । वहां न्याय सस्ता, जल्दी और सही मिलना चाहिये । इस की कोशिश हमारी हुकूमत करती है । दिल्ली में पिछले दिनों कुछ नये परिवर्तन हुए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : न्याय सस्ता मिले और न्यायालय बहुत महंगे हों—उन पर बहुत खर्च हो ।

श्री राजा रमण : न्यायालय महंगे नहीं हो सकते हैं । अगर न्यायालय का खर्च मुर्दा कल पर डालेंगे, तो न्याय जरूर महंगा हो जायेगा, वर्ना नहीं । इमारतें तो बनती ही हैं । अगर यहां पर हाई कोर्ट का बैंच रखना है, तो उस की इमारत चाहे एक झोंपड़ी हो, लेकिन बैठने

उठने का सामान तो होना ही चाहिये । अगर कम्प्लेंट की दीवार न बनाई जाये, तो कोई आदमी शिकायत नही करेगा, लेकिन बैठने का आराम तो होना ही चाहिये । वहां पर मैं ने देखा है कि मुवक्किलों के लिए बैठने का कोई माकूल इन्तजाम नही है । वे चारो तरफ फिरते रहते हैं और ऐसा लगता है कि वहां पर उठने बैठने की व्यवस्था और आराम करने का कोई ख्याल नही रखा गया है । एक मुवक्किल को या वकील को वहां पर बैठ करके आठ आठ और छ: छ: घटे रोजाना बिताने पड़ते है इस लिये इन सब चीजों का खयाल रखना बहुत जरूरी हो जाता है ।

दिल्ली में अन्य न्यायालयों की जो हालत है वह कुछ अच्छी नही कही जा सकती है । जो सुविधाये वहा होनी चाहिये वे वहा भी नही है । मैं समझता हू कि माननीय मन्त्री महोदय भी महसूस करेंगे कि उन की हालत बहुत अच्छी नही है । जो नई इमारत डिस्ट्रिक्ट कोर्टस के लिये बनी है उस पर रुपया तो बेहिसाब खर्च हुआ है मगर उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप भी खुद वहा जाये और उस को देखे तो आप को पता चलेगा कि लगभग दो करोड रुपया खर्च कर दिये जाने के बावजूद भी वह एक कचहरी के लिये, या अदालत के लिये गैर मौजू है, गैर मुनासिब है । मुझे यह मालूम हुआ है कि मन्त्री महोदय खुद भी इस सिलसिले मे छानबीन कर रहे है और छानबीन के बाद उस का भी कुछ ऐसा खयाल हुआ है कि इस इमारत को बनाने वाले और बनवाने वाले दोनों ही इस बात को खयाल मे रख कर आगे नही बढे कि हमें कैसी अदालत की जरूरत है और हमारी क्या क्या तकलीफें होगी । वहा जब कभी भी कोई आदमी जाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि यह कोई मछली बाजार है । चारो तरफ कूड़ा करकट तो फैला ही हुआ है लेकिन अन्दर भी, न सही तौर पर कैंटीन का इंतिजाम है और न ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का ही अच्छा रास्ता है । न वकीलों के बैठने के लिये और न ही .

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो एक्सेस ग्रांट है । इस में पंजाब गवर्नमेंट ने जो रुपया खर्च किया है, उसे वह मांग रही है और आप दिल्ली की अभी शिकायात का जिक्र कर रहे है ।

श्री राधा रमण उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हू कि जितना खर्च पंजाब गवर्नमेंट ने किया है उसे उस को दिया जाय । मै इस का स्वागत करता हू । लेकिन जिस काम के लिये दिया जाता है वह काम भी पूरा हुआ है या नही हुआ है यह हमे देखना पड़ता है । मैं अर्ज करना चाहता हू कि दो करोड के लगभग रुपया खर्च हुआ है और उस को हम ने खुशी से मजूर भी किया है और आगे भी मजूर करेंगे लेकिन अगर इतना रुपया खर्च करने के बाद भी यह हालत हो और यह हमारा तजुर्बा हुआ हो तो उस सूरत मे रुपया खर्च करने वालो के लिये और रुपया खर्च करवाने वालो के लिये सोचने की बात हो जाती है और यह देखना उन का फर्ज हो जाता है कि किस तरह से रुपये का सही इस्तेमाल हो ताकि उस का खर्च करने के बाद जिस आराम की हम ख्वाहिश करते है वह आराम तो हम को मिल सके । मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हू कि इस तरफ हकूमत की ज्यादा से ज्यादा तवज्जह होनी चाहिये ।

इस के साथ ही साथ मैं हकूमत का ध्यान इस तरफ भी खीचना चाहता हू कि आज से बीस या पचास बरस पहले, जब हम गुलाम थे उस वक्त जो अदालतों की हालत थी, जो तरीका लोगो को बुलाने का, उन को आवाज लगाने का था और उन को समझा जाता था कि न मालूम वे कितने बड़े मुलजिम है, कितना बड़ा गुनाह इन्होंने किया है, उस से आज अदालतो की हालत कुछ बेहतर नही हुई है । मैं समझता हूं कि जब हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनस को पनपाने जा रहे है और उन तमाम तरीको का सहारा लेकर चलना चाहते है जिन से कि वैलफेयर स्टेट

[श्री राघा रमण]

कायम हो सके, तो हमें इन बातों को बदलना पड़ेगा और एक नये दिमाग से, एक नई रोशनी से, एक नये दृष्टिकोण से, इस सब काम को करना पड़ेगा और जब हम ने ऐसा किया तो हम देखेंगे कि बहुत ही खुशगवार नतीजे निकलेंगे । यदि ऐसा किया गया तो लोगों को फायदा भी होगा और संतोष भी ।

मैं आप का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं । इस मांग का समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से बार-बार इस बात की अपील करता हू कि दिल्ली के अन्दर न्यायालयो की जो व्यवस्था है, जो न्याय की व्यवस्था है, उस सब की तरफ वह ज्यादा ध्यान दें ताकि हम यह कह सकें कि हिन्दुस्तान की राजधानी में जो न्यायालय हैं, वे आदर्श न्यायालय हैं और जो मुकदमो के यहा फैसले होते हैं, वे सब दूसरो के लिये एक नमूना हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं आप का शुकरिया अदा करता हू कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया और आशा करता हू कि जो बातें मैं ने कही हैं उन की तरफ माननीय मंत्री महोदय ध्यान देंगे ।

**Shri Tangamani** rose—

**Mr. Deputy-Speaker:** Does Shri Tangamani also want to speak?

**Shri Datar:** Sir, let the speeches be confined to the Demand for Excess Grant.

**Shri Tangamani** (Madurai): Sir, I shall confine myself to the points placed before the House. Sir, the Demand for Excess Grant is in relation to administration of justice under the Ministry of Home Affairs with special reference to Delhi, and the amount involved is Rs. 1,21,92;

**Mr. Deputy-Speaker:** Administration of justice should not be taken as a general topic for discussion. The question here is only so far as the expenditure by the Punjab Government for maintaining the Bench in Delhi is concerned.

**Shri Tangamani:** I understand the point. In the explanation it has been stated: "The cost of the work done by the High Court of Punjab at Chandigarh and its Circuit Bench at Delhi on behalf of the Delhi Administration is reimbursed to the Punjab Government". We are concerned more with the question of the Circuit Bench that is administering justice in Delhi. Generally the opinion of the members of the Bar and also the members of the public at large is that this Circuit Bench should continue

This Circuit Bench, as at present constituted, is having continuous sittings with two Judges more or less permanently posted here, but I do see that there is a certain difficulty so far as the members of the Bar are concerned Although this is a matter which the Bar Association has to attend to, the Bar Library and other facilities for the members of the Bar are lacking That, to my mind, can be made up, if I may be permitted to make the suggestion about the Circuit Bench

Today, Sir, the jurisdiction of the Circuit Bench is confined mostly to Delhi. If the jurisdiction could be extended to the adjoining districts of Rohtak and Gurgaon, which are nearer to Delhi than Chandigarh, there is a greater chance of the Bar expanding and there is also a greater chance of litigation being made cheaper. The speaker before me has really advocated that justice must be made cheaper Instead of the people from Rohtak and Gurgaon having to go to Chandigarh, if they could go to the Circuit Bench at Delhi having appellate jurisdiction, it will not only be justice made easy but also justice made cheaper.

Therefore, Sir, the two suggestions that I would like to make are: firstly,

that the Circuit Bench must be continued and, secondly, the jurisdiction of the Circuit Bench must be enlarged by including the two neighbouring districts. The Punjab Government may then be asked to share the expenses because we will then be giving justice to those districts which are under the administration of the Punjab Government.

**Shri Datar:** Sir, as you are aware, this was more or less a formal item for the purpose of readjustment of accounts before the reorganisation took place and the Delhi area became a Union Territory All the same, Sir, a number of hon Members have raised questions of wider import and it would not be proper for me to leave them altogether Therefore, Sir, with your permission and without creating any precedent in this respect, I would like to reply to those points as briefly as possible

The first point that was raised by the hon. Member, Shri Daulta, and supported by Shri Radha Raman, was that the Delhi Circuit Bench should become a permanent Bench of the Punjab High Court As I have already pointed out, we have before us, on the one hand, the report of the Law Commission to which a reference was made today and on an earlier occasion According to them, there ought to be only one principal seat and no Benches at all On the other hand, as I have pointed out while the Law Commission's Report was under discussion, as a matter of historical record, on account of the number of States being there and on account of other circumstances being there there were certain Benches already existing They naturally include the Delhi Circuit Bench also

On that account certain hon Members, then and now, have expressed misgivings as to what would happen about the future of the Delhi Circuit Bench. That question will be considered fully There are certain special circumstances so far as the Delhi Circuit Bench is concerned. Delhi is another territory, and Delhi, so far as the High Court jurisdiction is concerned, is under the Punjab High Court Under these circumstances, the question has to be considered from all points of view taking into account particularly these two points· firstly, that Delhi is a capital city and, secondly, that Delhi is in another terrrritory and not in the Punjab State itself So Government will come to a proper decision and hon Members need not have any misgivings that both the sides will not be properly considered There are certain points which hon Members have stressed. They wou'd be considered fully and a proper decision would be taken whenever it becomes necessary.

We have got a Circuit Bench here It continues almost throughout the year except during vacations I have also noted the fact—hon. Members have stressed that—that it has been serving the interests of the litigant public in Delhi to a large extent. Therefore, I would promise that both the sides of the question, especially the special points that the hon Members have made will be duly taken into account

Other questions were also placed before the House as to whether the Delhi Circuit Bench has been housed in a proper building and whether there are the other facilities or conveniences which are absolutely necessary for the Judges, for the lawyers and for the litigant public That question will also be considered I have not received any complaints in this respect All the same, it is my duty to find out how the conditions are and I shall try to look into them and see what can be done so far as this aspect of the question is concerned.

Apart from this, the District Court question also was brought in I would not like to go deeper into this matter except for pointing out that I myself visited the District Court once and had a discussion with the District Judge and also the President of the Bar Association Thereafter certain

[Shri Datar]

points were under consideration, and so far as the location of either the various offices of other departments or the offices of the District Court or Civil Court was concerned it was found that something had to be done with a view to meet the general desire in this respect keeping in view the space available. For that purpose, at our instance a committee has been appointed to go into the whole question That committee's report has not yet been received. After it is received the matter will receive full consideration even so far as the District Court is concerned

Then, it would not be proper at this stage to deal with the question as to whether some districts of the Punjab State should be brought under the jurisdiction of the Circuit Bench at Delhi This is a very larger question, and that question will have to be considered adequately from all points of view The views of the Government of Punjab and the views of the Punjab High Court will also have to be taken into account The re, all that I can say is that it is a very large question on which it would not be proper for me at this stage to commit the Governme of India So far as this excess grant is concerned, I presume that hon Members generally agree with it

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is

"That a sum of Rs 1,21,921 be granted to the President to make good an excess on the grant sanctioned for the former Part C State of Delhi in respect of Demand No 10—Administration of Justice for the year ended the 31st day of March, 1957"

*The motion was adopted.*

---

16.31 hrs.

## DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (HIMACHAL PRADESH)*

**Mr. Deputy-Speaker:** The next item is Demands for Excess Grants (Himachal Pradesh)

### CAPITAL OUTLAY ON THE IMPROVEMENT PUBLIC HEALTH

**Mr. Deputy-Speaker:** Motion moved

"That a sum of Rs 50,148 be granted to the President to make good an excess on the grant sanctioned for the former Part C State of Himachal Pradesh in respect of 'Capital Outlay on the Improvement of Public Health' for the year ended the 31st day of March, 1957"

### DEMAND NO 36—CAPITAL OUTLAY ON ELECTRICITY SCHEMES

**Mr. Deputy-Speaker.** Motion moved

'That a sum of Rs 1,85,018 be granted to the President to make good an excess on the grant sanctioned for the former part C State of Himachal Pradesh in respect of 'Capital Outlay on Electricity Schemes' for the year ended the 31st day of March, 1957"

### DEMAND NO 38—PAYMENT OF COMMUTED VALUE OF PENSIONS

**Mr Deputy-Speaker:** Motion moved

"That a sum of Rs 5,990 be granted to the President to make good an excess on the grant sanctioned for the former Part C State of Himachal Pradesh in respect of 'Payment of Commuted Value of Pensions' for the year ended the 31st day of March, 1957"

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar):** So far

*Moved with the recommendation of the President.